



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

आयोग भवन, हरिद्वार-249404

दूरभाष: 01334-244282, फ़ैक्स: 244282

वेबसाइट: www.psc.uk.gov.in

पत्रांक :: 127/51/उ.कु.प्रसा./अधि0 अधिकारी एवं कर व राजस्व निरी0 परीक्षा-2023/गोपन-3/2023-24 दिनांक : 01 दिसम्बर, 2023

दिशा-निर्देश सम्बन्धी विज्ञप्ति

एतद्वारा सूचित किया जाता है दिनांक: 26 नवम्बर, 2023 को आयोजित शहरी विकास विभाग के अन्तर्गत अधिशासी अधिकारी एवं कर व राजस्व निरीक्षक परीक्षा-2023 के प्रथम प्रश्नपत्र- सामान्य हिन्दी तथा द्वितीय प्रश्नपत्र- सामान्य अध्ययन की लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) की चारों सीरीज (A, B, C & D) की उत्तरकुंजी को उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की वेबसाइट www.psc.uk.gov.in पर अभ्यर्थियों के सूचनार्थ प्रसारित कर दिया गया है। यदि किसी अभ्यर्थी को चारों सीरीज के किसी प्रश्न एवं उत्तर विकल्प पर कोई आपत्ति है तो वह आयोग की वेबसाइट पर **Online Answer Key Objection** हेतु दिये गये लिंक पर जाकर अपनी आपत्तियों को निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार दिनांक : 02 दिसम्बर, 2023 से 08 दिसम्बर, 2023 (समय रात्रि के 23:59:59 बजे तक) तक दर्ज करा सकते हैं। **Online Answer Key Objection** करने हेतु दिशा निर्देश निम्नवत् हैं-

1. अभ्यर्थी Answer Key पर Online Objection करने हेतु आयोग की वेबसाइट www.psc.uk.gov.in पर प्रदान किये लिंक पर क्लिक करें।
2. Roll No, Date of Birth Fields भरने के पश्चात् Security Key भरकर Login Button पर क्लिक करें।
3. Select Question Booklet Series पर क्लिक करें एवं Booklet Series A, B, C, D में से अपनी Booklet Series का चयन करें। तत्पश्चात् Continue Button पर क्लिक करें।
4. Question Paper Information के अन्तर्गत Select Question No. में उपलब्ध Drop Down List में Question No. Select करें। प्रश्न संख्या चयन करने के पश्चात् प्रश्न दिखायी देगा।
5. Candidate Answer & Documentary File Details के अन्तर्गत अभ्यर्थी अपना उत्तर विकल्प चयन कर, Please Enter Objection Description, Reference Book एवं Page No. Field को भरें।
6. Upload Documents के अन्तर्गत Choose File में क्लिक कर PDF File Upload (50Kb to 500Kb) कर, प्रश्न की उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करने हेतु Add Objection Button पर क्लिक करें। प्रश्न की उत्तर कुंजी पर दर्ज की गयी आपत्ति का विवरण Grid में प्रदर्शित होगा। त्रुटि होने पर Delete Button के माध्यम से प्रश्न पर दर्ज की गयी आपत्ति को Delete भी किया जा सकता है।
7. यदि अभ्यर्थी अन्य किसी प्रश्न की उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करना चाहता है तो पुनः उपरोक्त प्रक्रिया अपनायें।

8. अंतिम रूप से प्रश्नों की उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करने हेतु **Submit And Make Payment** बटन पर क्लिक करें।
9. **Submit And Make Payment Button** पर क्लिक करने पर दर्ज की गयी आपत्तियों का विवरण प्रदर्शित होगा एवं प्रति प्रश्न रू0 50/- की दर से भुगतान किये जाने वाले शुल्क का विवरण प्रदर्शित होगा। तत्पश्चात् शुल्क भुगतान हेतु **Click Here to Payment Button** पर क्लिक करें अन्यथा दर्ज आपत्तियों को **Edit** करने हेतु **Edit/Add Objection Button** पर क्लिक करें।

यह भी महत्वपूर्ण है कि अभ्यर्थी को प्रत्येक प्रश्न हेतु निर्धारित रू0 50/- शुल्क के रूप में जमा करने होंगे। शुल्क जमा न होने की स्थिति में **Online Answer Key Objection** पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। **Online Answer Key Objection** का शुल्क जमा करने के पश्चात् कोई भी बदलाव सम्भव नहीं होगा तथा अन्य प्रश्नों पर भी आपत्ति दर्ज नहीं की जा सकेगी तथा **Booklet Series A, B, C, D** में से किसी एक **Booklet Series** का चयन करने के पश्चात् किसी भी 01 प्रश्न पर आपत्ति दर्ज करने हेतु **Add Objection Button** पर क्लिक करने के उपरान्त **Booklet Series** में कोई बदलाव नहीं होगा।

आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध लिंक **Online Answer Key Objection** के अतिरिक्त अन्य किसी ई-मेल, डाक अथवा अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आपत्ति तथा अन्तिम तिथि एवं समय के उपरान्त प्रेषित आपत्ति को किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

-SD-
(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव।